न्यायालयः बृजेश मणि त्रिपाठी, अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद शिवहर।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–90/2026
पुरनहिया थाना कांड संख्या–162/2025
सरकार बनाम् रामप्रवेश कुमार उर्फ रामप्रवेश सहनी
CNR No. BRSO010006072026

01. रामप्रवेश कुमार उर्फ रामप्रवेश सहनी पिता–जोगी सहनी, उम्र–46 वर्ष सा0–मिनापुर बलहाँ, थाना–पिपराही, जिला–शिवहर ....आवेदक।

बनाम्

बिहार सरकार...विपक्षी।
आवेदक के विद्वान अधिवक्ता– श्री सुरेश कुमार।
बिहार सरकार की ओर से विद्वान अपर विशेष लोक अभियोजक–श्री दिलीप कुमार।

उपस्थितिः बृजेश मणि त्रिपाठी,
अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद,
शिवहर।
26.03.2026

दिनांक 26.03.2026

आदेश

आवेदक 1. रामप्रवेश कुमार उर्फ रामप्रवेश सहनी पिता–जोगी सहनी, उम्र–46 वर्ष सा0–मिनापुर बलहाँ, थाना–पिपराही, जिला–शिवहर, जिन्हें पुरनहिया थाना कांड संख्या–162/2025, अन्तर्गत धारा–30(ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद (संशोधित) अधिनियम, 2018 के अपराध के लिए दर्ज किया गया है, में उनके द्वारा उक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की प्रत्याशा में अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिनको उनके विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार के द्वारा संचालित किया गया, जिस पर उनको तथा अभियोजन की ओर से विद्वान अपर विशेष लोक अभियोजक श्री दिलीप कुमार को सुना गया।

अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक–27.11.2025 को सूचक पु0अ0नि0 विशेश्वर सिंह, पुरनहिया थाना को समय करीब 09:20 बजे गुप्त सूचना मिली की ग्राम कोल्हुआ ठीकहा पक्की रोड से सिंघ ाोरवा के तरफ से एक पल्सर मोटरसाईकिल पर दो व्यक्ति सवार होकर एक जुट का बोरा दोनों व्यक्ति के बीच में रखकर आ रहा है। प्राप्त सूचना पर सूचक एवं सशस्त्र बल के साथ समय करीब 09:45 बजे ग्राम कोल्हुआ ठीकहा के रोड पर चेकिंग करना प्रारंभ किये। करीब 10:00 बजे एक मोटरसाईकिल पर दो व्यक्ति सवार होकर दोनों के बीच में एक जुट का बोरा रखे हुए थे, सिंघवारा के तरफ से आ रहे थे। जैसे ही उनका नजर पुलिस बल पर पड़ वे वही पर गाड़ी छोड़कर दोनों भागने लगे। भागने के क्रम में एक व्यक्ति पकड़ा गया तथा दूसरा व्यक्ति भागने में सफल रहा। पकड़ाये गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम–लगन महतो, पिता–भागनारायण महतो उर्फ भागी महतो, सा0–बंसतपुर पकड़ी, थाना–रीगा, जिला–सीतामढ़ी बताया तथा भागने वाले व्यक्ति का नाम–राम प्रकाश कुमार, पिता–नमालुम, सा0–कुम्मा, थाना–पिपराही, जिला–शिवहर बताया। पुलिस बल के कार्य से वहाँ पर लोगो का भीड़ लग गया, जिसमें से दो स्वतंत्र साक्षी 1. सुबोध कुमार, पिता–बैधनाथ राय, 2. संजय राय, पिता–बैधनाथ राय का साक्षी मानते हुए तलाशी नियमों का पालन करते हुए उक्त बोरो को खोलने पर हरा रंग के प्लास्टि के पन्नी में 300 एम.एल. का 103 बोतल कुल 30.9 लीटर अवैध नेपाल करिश्मा देशी शराब बरामद हुआ। बरामद अवैध नेपाली शराब एवं मोटरसाईकिल जिसका रजि0 नं0–बी.आर.55ई. 3064 को विधिवत जप्त कर उसकी जप्ती सूची तैयार किया गया। इसी आधार पर कांड संस्थित किया गया है।

अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित कर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता कहते हैं कि आवेदक निर्दोष है एवं उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक के द्वारा इस अग्रिम जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई जमानत आवेदन किसी अन्य वरीय न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया

लगातार/2

न्यायालयः बृजेश मणि त्रिपाठी, अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद शिवहर।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–90/2026
पुरनहिया थाना कांड संख्या–162/2025
सरकार बनाम् रामप्रवेश कुमार उर्फ रामप्रवेश सहनी
CNR No. BRSO010006072026

दिनांक
26.03.2026
गया है और ना ही लंबित है। आवेदक का पूर्व से एक अपराधिक इतिहास है। आवेदक को इस वाद के अन्य अभियुक्त के द्वारा बताये नाम के आधार पर अभियुक्तिकरण किया गया है। आवेदक सक्षम जमानत बंध पत्र देने को तैयार हैं तथा उनके पलायन की कोई संभावना नहीं है। अतः आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की जाये।

विद्वान अपर विशेष लोक अभियोजक आवेदक के अग्रिम जमानत का विरोध करते हैं एवं कथन करते हैं कि धारा–76(2) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम इस तरह के मामलों में अग्रिम जमानत को पोषणीय नहीं पाता है। अतः आवेदक अभियुक्त के अग्रिम जमान आवेदन को खारिज किया जाये।

उभय पक्षों को सुना तथा प्राथमिकी एवं वाद दैनिकी का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि आवेदक की पहचान इस वाद के सह अभियुक्त के द्वारा किया गया था। वाद दैनिकी में वर्णित साक्षियों के द्वारा घटना का समर्थन किया गया। आवेदक के विरूद्व पूर्व से उत्पाद अधिनियम के अन्तर्गत एक मामल मघ निषेध थाना कांड संख्या–186/23 संस्थित है। आवेदक के विरूद्व कांड दैनिकी में उपलब्ध सामग्री से प्रथमदृष्टया अपराध कारित करने का अभियोग बनता प्रतीत होता है। उत्पाद अधिनियम की धारा–76(2) के तहत उत्पाद अधिनियम से संबंधित मामले में अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों, जप्त शराब की मात्रा एवं अन्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक–रामप्रवेश कुमार उर्फ रामप्रवेश सहनी की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्विकृत

ह/0

अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद,
शिवहर।
26.03.2026